

संख्या

मेरठ विकास प्राधिकरण

की

आवासीय योजनाओं में स्थित आवासीय
भवन/भूखण्ड/फ्लैट्स तथा लघु उद्योग कम आवासीय
प्रयोजनार्थ भूखण्ड के "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर
निविदा-सह-खुली नीलामी पद्धति से विक्रय/आवंटन
हेतु नियम व शर्तों

की

विवरण पुस्तिका

निविदा-सह-नीलामी का प्रोग्राम : संलग्नक एक के अनुसार।

(विवरण पुस्तिका के विक्रय करने की अवधि : विज्ञापन दिनांक से नीलामी दिनांक तक)

विवरण पुस्तिका मूल्य रुपये 500/-

मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में स्थित आवासीय भवन/भूखण्ड/फ्लैट्स तथा लघु उद्योग कम आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड के "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर निविदा-सह-खुली नीलामी पद्धति से विक्रय/आवंटन की नियम व शर्तें

1. प्राधिकरण की विज्ञापित सम्पत्तियाँ अर्जित व भार रहित हैं।
2. भवनों/भूखण्डों/फ्लैट्स का विवरण, क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा नीलामी की तिथि संलग्नक-1 में उल्लिखित हैं।
3. निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने हेतु पात्रता-
 - (1) आवेदक भारत का नागरिक हो।
 - (2) आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये।
 - (3) (अ) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी (फर्म-सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (ब) /पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म-सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (स) व्यक्तिगत स्वामी।
 - (द) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (य) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।
 - (र) एच0यू0एफ0।
 - (ल) पंजीकृत कंसोर्टियम (Consortium) फर्म।
 - (व) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो)।
- (4) निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को नीलामी के समय दिये गये प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि प्रश्नगत नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उसके व्यवसायिक सम्बन्ध नहीं हैं।
4. मोहरबन्द निविदायें "स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ" संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 2.00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में रखे गये टैण्डर बाक्स में डाली जायेगी। मोहरबन्द निविदायें, निर्धारित प्रारूप पर जो कि संलग्नक-2 पर उपलब्ध है, पर प्रस्तुत की जायेगी तथा इनके साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो कि संलग्नक-1 में उल्लिखित है तथा विवरण पुस्तिका मूल्य रुपये 500/- कर बैंक ड्राफ्ट जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में मेरठ में देय हो, संलग्न करना होगा। कृपया आवेदक, नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप पर उल्लिखित आवेदन पत्र (संलग्नक-3) टेण्डर बॉक्स में न डालें।

आवेदक के हस्ताक्षर।

5. नीलामी का आयोजन प्राधिकरण कार्यालय के सभा कक्ष में संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि एवम् समय पर किया जायेगा। नीलामी में केवल निम्न व्यक्ति भाग ले सकते हैं:-

- जिन्होंने धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चैक्स मूल रूप में "स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ" अपनी निविदा के साथ जमा किया है, के द्वारा नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्नक-3 के साथ जमा धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चैक्स छाया प्रति तथा विवरण पुस्तिका मूल्य रुपये 500/- के बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चैक्स छाया प्रति संलग्न करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
- जिन्होंने मोहरबन्द निविदायें प्रस्तुत नहीं की हैं किन्तु सीधे नीलामी में भाग लेना चाहते हैं नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित प्रारूप संलग्नक-3 के साथ जमा धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चैक्स की मूल प्रति तथा विवरण पुस्तिका मूल्य रुपये 500/- का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चैक्स की मूल प्रति संलग्न करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने साथ मात्र एक व्यक्ति को लाने का अधिकार होगा।
- यदि आवेदनकर्ता स्वयम् उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो वह निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र स्वयम् पूर्ण करके अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा-सह-खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं जिसके लिये आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्रोपर आथोराइजेशन किया जाना आवश्यक होगा और ऐसी दशा में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नीलामी समिति के समक्ष अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- यदि आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो आवेदनकर्ता को अपनी श्रेणी (व्यक्तिगत/व्यक्तिगत स्वामी, /पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, फर्म साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी, रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी, ट्रस्ट, पंजीकृत कर्सीटियम (Consortium) फर्म एवम् एच0यू0एफ0 या अन्य) के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन व मैमोरेण्डम आदि से सम्बन्धित आवश्यक कागजात आदि भी निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
- निविदा-सह-खुली नीलामी में शामिल भूखण्डों के सापेक्ष आवेदकों द्वारा अपनी दरें प्रति वर्ग मीटर तथा भवन/प्लैट की आरक्षित कीमत के सापेक्ष अपनी ओर से कीमत दी जायेगी।
- एक बार बोली बोलने के पश्चात् उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार टेण्डर बॉक्स में अपनी निविदा डालने के पश्चात् निविदा के माध्यम से दी गयी दर वापस नहीं लिया जा सकेगा।

6. आवेदक जिस आवासीय भवन/भूखण्ड/प्लैट हेतु निविदा, टेण्डर बॉक्स में डालेगा, वह केवल उस ही आवासीय भवन/भूखण्ड/प्लैट पर बोली बोलने के लिये अधिकृत होगा। प्रत्येक भवन/भूखण्ड/प्लैट के लिये आवेदन विवरण पुस्तिका, धरोहर राशि के बैकर्स चैक्स/बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर व विवरण पुस्तिका मूल्य रुपये 500/- का बैकर्स चैक्स/बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर का आवेदन पत्र पृथक-पृथक से प्रस्तुत करने होंगे।
7. नीलामी कराने वाले अधिकारी नीलामी समाप्त होने के पश्चात् निविदा बॉक्स खोला जायेगा तथा आवेदित सम्पत्ति के सापेक्ष निविदा-नीलामी में जो भी उच्चतम् बोली प्राप्त होगी, का आंकलन समिति द्वारा किया जायेगा तथा अपनी संस्तुति गुण-दोष के आधार पर उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को प्रस्तुत करेंगी। उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को निविदा/बोली निरस्त करने का अधिकार होगा व उच्चतम् निविदा अथवा उच्चतम् बोली को भी बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। इनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
8. उच्चतम् बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन आफर पत्र जारी होने की दिनांक से 30 दिन में मूल्य की शुद्ध 20% धनराशि (जमा धनरोहर राशि का समायोजन करने हुए) प्राधिकरण कोष में और जमा करनी होगी। तत्पश्चात् सम्पत्ति का आवंटन पत्र/आवंटन-कम-किश्त पत्र जारी किया जायेगा तथा शेष 80% धनराशि निम्नानुसार अदा की जायेगी।

(अ) भूखण्डों की बकाया 80% धनराशि 03 वर्ष की 06 समान छमाई किश्तों में 16% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी व भवन/प्लैट्स की बकाया 80% धनराशि 08 वर्ष की 16 समान छमाई किश्तों में 16% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। आवासीय भूखण्ड/आवासीय भवन (सिंगल स्टोरी) का टाईटल फ्रीहोल्ड रहेगा। फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन ऑफर/आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ-1-14-30विधि /2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि (सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत) शामिल करते हुए जारी किया जायेगा। बहुमंजिला प्लैट्स में निहित भूमि का आवंटन लीज होल्ड आधार पर रहेगा। बहुमंजिला प्लैट्स में निहित भूमि मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि 90 वर्ष के अग्रिम लीजरेन्ट के रूप में प्लैट्स का हस्तान्तरण विलेख/किराया किश्त क्रय अनुबन्ध इनमें जो भी पहले निष्पादित हो, निष्पादन के समय आवंटियों से जमा जायेगा।

(ब) पहली छमाई किश्त बोली अथवा निविदा स्वीकृति पत्र जारी होने के छः माह में देय होगी जिसका किश्त पत्र पृथक से प्रेषित किया जायेगा। देय किश्तें/देय धनराशि विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।
9. निविदा/नीलामी में आवेदकों की धरोहर राशि के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/पे-आर्डर में से प्राधिकरण के लेखा अनुभाग द्वारा केवल उच्चतम् बोलीदाता की धरोहर राशि प्राधिकरण कोष में जमा की जायेगी तथा शेष आवेदकों की जमा

धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे-आर्डर उन्हें यथास्थिति वापस कर दिये जायेगे।

10. द्वितीय स्थान के बोलीदाता को भी अन्य सम्पत्तियों में बोली बोलने का अधिकार होगा परन्तु इसके लिये उसे नीलामी में भाग लेने हेतु विवरण पुस्तिका सहित निर्धारित आवेदन पत्र पृथक से नीलामी आरम्भ होने से पूर्व नीलामी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह भी होगा कि प्रश्नगत सम्पत्ति जिसके सापेक्ष बोलीदाता नीलामी में भाग लेना चाह रहे है, उस सम्पत्ति के सापेक्ष नियत धरोहर राशि पूर्ण रूप से (शत प्रतिशत) तथा विवरण पुस्तिका शुल्क रुपये 500/— का ड्राफ्ट जमा कराना होगा जिसमें निम्न स्थान के कारण पूर्व में जमा धनराशि समायोजित की जायेगी। केवल वें ही द्वितीय स्थान के आवेदक भाग ले सकेंगे जिन्होंने आवेदित सम्पत्ति के सापेक्ष निविदा नहीं डाली है तथा सीधे नीलामी भाग लिया हो।
11. निविदा अथवा बोली स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त एक माह की अवधि में जमा होने वाली धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन आफर निरस्त कर दिया जायेगा एवम् एक माह के अन्दर यदि उच्चतम् बोलीदाता/नीलामीदाता निरस्त सम्पत्ति बहाल नहीं कराता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. आवासीय भवन/भूखण्ड/प्लैट का विधिवत् आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त दो या दो से अधिक छमाई किश्तें जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई धनराशि वापस की जायेगी। यदि उच्चतम् बोलीदाता/नीलामीदाता, भवन/भूखण्ड/प्लैट्स के निरस्तीकरण के उपरान्त एक माह में भवन/भूखण्ड/प्लैट्स की बहाली चाहे तो तत्समय लागू नियमानुसार भवन/भूखण्ड/प्लैट्स बहाली का आदेश प्रसारित किया जायेगा तथा भूखण्ड/भवन की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।
13. कब्जा हस्तान्तरण व विलेख का निष्पादन—

(अ) फ्रीहोल्ड आधार पर आवंटित सम्पत्ति (आवासीय भूखण्ड/एक मंजिला भवन) का कब्जा प्रारम्भिक स्टेज पर 40 प्रतिशत भुगतान पर दिया जायेगा। यदि आवंटित सम्पत्ति कॉर्नर की है तथा सम्पत्ति में निहित मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्जेज सम्पत्ति के मूल्य में शामिल नहीं है तो फ्रीहोल्ड किश्त क्रय अनुबन्ध अथवा विक्रय विलेख इनमें जो भी पहले हो, के निष्पादन से पूर्व पृथक से देय होगा। ऐसी सम्पत्तियों में फ्रीहोल्ड शुल्क की गणना कॉर्नर चार्जेज की धनराशि को शामिल करते हुए की जायेगी तथा इसी प्रकार लीहोल्ड सम्पत्तियों में लीजरेन्ट की गणना कॉर्नर चार्जेज की धनराशि को शामिल करते हुए की जायेगी। लीजहोल्ड सम्पत्तियों का कब्जा प्रारम्भिक स्टेज पर प्लैट मूल्य का 40 प्रतिशत धनराशि तथा लीजरेन्ट की धनराशि (प्लैट में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत) व योजना की प्रचलित दर से पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क व यदि प्लैट कॉर्नर का है तो कॉर्नर चार्ज

जमा कराने के पश्चात् देय स्टाम्प ड्यूटी पर किराया किश्त क्रय अनुबन्ध निष्पादित करके दिया जायेगा।

(ब) यदि आवंटी 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त किन्तु किश्तों के चलते रहते कब्जा प्राप्त करना चाहे तो बिन्दू 13(अ) के देय धनराशि+फ्रीहोल्ड किश्त क्रय अनुबन्ध/किराया किश्त क्रय अनुबन्ध के दिनांक को देय हो चुकी किश्तों की धनराशि अप-टू-डेट जमा कराने के पश्चात् देय स्टाम्प ड्यूटी पर फ्रीहोल्ड किश्त क्रय अनुबन्ध/किराया किश्त क्रय अनुबन्ध निष्पादित करके दिया जायेगा।

(स) सम्पत्ति के विलेख का निष्पादन, सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि/10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि, शत प्रतिशत धनराशि, जमा करने के उपरान्त सम्पत्ति में लोकेशन चार्ज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड/10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि व पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क व यदि सम्पत्ति कॉर्नर की है तो कॉर्नर चार्ज आदि जमा कराने के पश्चात् देय स्टाम्प ड्यूटी पर सम्पत्ति का विक्रय विलेख/हस्तान्तरण विलेख कराकर निष्पादित किया जायेगा तथा तत्पश्चात् सम्पत्ति का कब्जा दिया जायेगा। ऐसी आवंटी जिन्होंने प्रारम्भिक स्टेज पर अथवा किश्तों के चलते रहते फ्रीहोल्ड किश्त क्रय अनुबन्ध/किराया किश्त क्रय अनुबन्ध निष्पादित कराकर कब्जा लिया गया था, उन प्रकरणों में विलेख का पंजीयन कब्जा अनुबन्ध के समय जमा स्टाम्प ड्यूटी को समायोजित करते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी पर विलेख का पंजीयन किया जायेगा।

14. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटी को देय स्टाम्प ड्यूटी वहन करके 6 माह में परिसम्पत्ति की रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
15. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भवन/भूखण्ड/प्लैट्स के न्यूनतम मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी और कार्नर पर स्थित भवन/भूखण्ड/प्लैट्स में निहित भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि, रजिस्ट्री के समय देय होंगी।
16. भवन/भूखण्ड/प्लैट्स की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्ज देय होंगे।
17. सम्पत्ति (आवासीय भवन/भूखण्ड/प्लैट्स) में निहित भूमि की कीमत+लोकेशन चार्ज का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड/10 प्रतिशत लीजरेन्ट लिया जायेगा जो कि रजिस्ट्री/कब्जा अनुबन्ध, इनमें जो भी पहले, के समय देय होगा।
18. परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।

19. आवंटित भवन/भूखण्ड/प्लैटस् पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड/भवन पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011) में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों, उप-नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।
20. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साँझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
21. परिसम्पत्ति का आवंटन "जहाँ है जैसा है" पद्धति पर किया जायेगा तथा वह निविदा-सह-खुली नीलामी की तिथि से लागू होगा।
22. विज्ञापित सम्पत्ति पर, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने एवं अन्य कारणों से नीलामी आरम्भ होने से पहले नीलामी/निविदा से हटाने का अधिकार नीलामी समिति के अध्यक्ष का होगा जो आवेदकों को मान्य होगा।
23. मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जिन भवन/भूखण्ड/प्लैटस् के निस्तारण हेतु निविदा-सह-खुली नीलामी का आयोजन किया जा रहा है, उनके सम्मुख जो विकास कार्य होने शेष है, वें नीलामी स्वीकृति के एक वर्ष की अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिये जायेगे।
24. अन्य शर्तें—
 - (1) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटी को विक्रय विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुपालन करना होगा।
 - (2) प्राधिकरण की योजनाओं की अर्जित भूमि पर भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की धारा-18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की धारा-28 ए के तहत कलक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषकों की भूमि दर बढ़ाये जाने की स्थिति में भवन/भूखण्ड/प्लैटस् की भूमि का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम निविदा/नीलामीदाता/आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम निविदा/नीलामीदाता/आवंटी से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।
 - (3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये नीलाम की जा रही सम्पत्ति को नीलामी से हटाने/स्थगित (निरस्त) करने का अधिकार होगा।
 - (4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
 - (5) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति की आरक्षित दर संलग्नक-1 में उल्लिखित है।
 - (6) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(7) परिसम्पत्ति का आवंटन उच्चतम् बोली/निविदा को प्रचलित सिद्धान्त पर “जहाँ है जैसा है” के तहत किया जायेगा।

(8) देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।

(9) नियत तिथि को निविदा-सह-नीलामी सम्पन्न हो जाने के पश्चात विज्ञापन शुदा अवशेष आवासीय सम्पत्तियों की नीलामी प्रत्येक बुद्धवार (कार्य दिवस) में होगी।

(10) आवेदक कृपया निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड व वेबसाईट पर इच्छित सम्पत्ति की रिक्तता की स्थिति ज्ञात कर लें।

(11) निविदा-सह-नीलामी के माध्यम से आवासीय सम्पत्ति प्राप्त करने के इच्छुक केवल वें आवेदक भाग ले सकते हैं, जिनके परिवार के पक्ष में प्राधिकरण की योजना में पहले से कोई आवासीय सम्पत्ति आवंटित न हो। यदि निविदा-सह-नीलामी में शामिल आवासीय सम्पत्ति का परिणाम घोषित होने के उपरान्त यह पाया जाता है कि आवेदक के परिवार के पक्ष में पहले से आवासीय सम्पत्ति आवंटित है तो निविदा-सह-नीलामी के माध्यम से आवंटित सम्पत्ति का आवंटन निरस्त करते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(12) नीलामी कक्ष में केवल बोलीदाता एवं उसके अधिकृत व्यक्ति (केवल परिवार का व्यक्ति) टोकन सहित प्रवेश करने के लिये अधिकृत होगा। अनधिकृत प्रवेश पर बिना सूचना दिये कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(13) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि उच्चतम् बोली/निविदादाता/आवंटी को मान्य होगा।

उपाध्यक्ष,

मेरठ विकास प्राधिकरण,

मेरठ।

निविदादाता/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा—

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

.....
निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर मोहर सहित एवम् पूरा नाम व पता:—

नाम.....

पिता का नाम.....

पता.....

.....

रिक्त भवनों/भूखण्डों व फ्लैट्स का विवरण व प्रोग्राम
मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में
स्थित भवनों को निविदा-सह-नीलामी पद्धति से निस्तारण हेतु विवरण

सम्पत्तियों की निविदा तिथि व समय—			प्रत्येक बुद्धवार को पूर्वान्ह 11 बजें से अपरान्ह 2.00 बजे तक।			सम्पत्तियों की नीलामी तिथियाँ व समय—			प्रत्येक बुद्धवार को अपरान्ह 2.30 बजें से।		
निविदा हेतु स्थान			विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार			नीलामी का स्थान			विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार		
श्रेणी	सैक्टर/ पाकेट	क्षेत्रफल वर्ग मी0	भूखण्ड/भवनों के नम्बर			कीमत रुपये में			धरोहर राशि रुपये में		
1.	2.	3.	4.			5.			6.		
श्रद्धापुरी फेस—2 (आवासीय भूखण्ड, दर रुपये 13800/— प्रति वर्ग मीटर)											
HIG	B	462.00	B-342, 343,			6375600			637560		
HIG	B	200.50	B-241			2766900			276690		
सैनिक विहार (भूखण्ड, दर रुपये 11200/— प्रति वर्ग मीटर)											
MIG	C	112.50	C-837, 838,			1260000			126000		
शताब्दीनगर, भूखण्ड दर 10700/— प्रति वर्ग मीटर											
HIG	4C/A	180.00	A-335,			1926000			192600		
MIG	4C/A	112.50	A-187, 201, 239,			1203750			120375		
	4C/B	112.50	B-144, 164,			1203750			120375		
HIG	4C	246.46	A-291			2637122			263712.2		
MIG	4C/A	112.50	A-270			1203750			120375		
MIG	4C/B	112.50	B-166			1203750			120375		
MIG	4C/E	112.50	E-114, 138,			1203750			120375		
डा राम मनोहर लोहियानगर, भूखण्ड दर 10700/— प्रति वर्ग मीटर											
HIG	I	162.00	I-403/1			1733400			173340		
HIG	I	235.00	I-403/2			2514500			251450		
HIG	I	241.95	I-403/3			2588865			258886.5		
वेद व्यासपुरी, भूखण्ड, दर रुपये 15000/— प्रति वर्ग मीटर											
LIG	7/A	57.25	A/1			858750			85875		
LIG	7/A	40.00	A/2			600000			60000		
LIG	7/A	38.625	A/3			579375			57937.5		
LIG	7/A	37.175	A/4			557625			55762.5		
LIG	7/A	35.70	A/5			535500			53550		

LIG	7/A	34.225	A/6	513375	51337.5
LIG	7/A	32.78	A/7	491700	49170
LIG	7/A	34.38	A/8	515700	51570
LIG	7/A	35.49	A/9	532350	53235
LIG	7/A	38.75	A/10	581250	58125
LIG	7/A	40.24	A/11	603600	60360
रक्षापुरम योजना, भूखण्ड, दर रुपये 11200/- प्रति वर्ग मीटर					
HIG	1	300.00	R-1	3360000	336000
शताब्दीनगर आवासीय योजना, आवासीय भवन (भूमि दर रु0 10,700/- प्रति वर्ग मीटर)					
HIG	4B/A	180.00	A-39, 41, 42, 43, 44, 51	3679400	367940
HIG	4B/A	280.00	A-52	5213200	521320
MIG	4B/A	112.50	A-78, 84, 85	2307200	230720
MIG	4B/B	112.50	B-29	2307200	230720
HIG	1/B	175	B-246	3412600	341260
MMIG	1/A	72.00	A-324, 325,	1294500	129450
डा0 राम मनोहर लोहियानगर आवासीय योजना, आवासीय भवन (भूमि दर रु0 10,700/- प्रति वर्ग मीटर)					
LIG	K	54.00	K-508, 798,	896000	89600
LIG	K	54.00	K- 67, 68, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 81,	653000	65300
LIG	M	54.00	M-131, 146, 147, 157, 196, 209, 352, 366, 400, 401, 409, 410, 419, 420, 429,	783000	78300
LIG	M	54.00	M-132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 367, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 424, 425,	725300	72530

			426, 427, 428,		
LIG	M	54.00	M-512, 513, 514, 515, 516, 517, 522, 523, 524, 525,	653000	65300
LIG	M	54.00	M-175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,	809600	80960
LIG	M	54.00	M-186, 210, 220, 239, 326,	867400	86740
LIG	M	54.00	M-511,	710800	71080

1. निविदा/नीलामी आवेदन पत्र के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि जिसका विवरण तालिका के कॉलम 6 में उल्लिखित है, का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे-आर्डर तथा विवरण पुस्तिका मूल्य अंकन रुपये 500/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे-आर्डर लगाया जाना अनिवार्य है, नीलामी स्वीकृति पश्चात् शुद्ध 20 प्रतिशत धनराशि (धरोहर धनराशि समायोजित करते हुए) का भुगतान एक माह में तथा शेष 80 प्रतिशत धनराशि विवरण पुस्तिका में उल्लिखित प्रक्रियानुसार देय होगी।
2. विज्ञापित सम्पत्ति पर, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने एवं अन्य कारणों से नीलामी आरम्भ होने से पहले नीलामी/निविदा से हटाने का अधिकार नीलामी समिति के अध्यक्ष का होगा जो आवेदकों का मान्य होगा।
3. रिक्त सम्पत्तियों का विवरण प्राधिकरण कार्यालय के नोटिस बोर्ड प्राधिकरण की बेबसाईट (WWW.mdameerut.in) पर उपलब्ध रहेगा। आवेदक कृपया रिक्त सम्पत्तियों की सूची से मिलान करने के उपरान्त ही निविदा-सह-नीलामी में भाग लेवे।

संलग्नक-2

संख्या

निविदा तिथि- संलग्नक एक के अनुसार।

निविदायें डालने का समय पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक।

स्थान- विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

निविदा पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

1. निविदा किस सम्पत्ति के लिये है:-

(अ) भवन/भूखण्ड/प्लैट्स सं० (ब) सैक्टर

(स) पॉकेट (द) क्षेत्रफल वर्ग मीटर

(य) योजना का नाम

(आवेदक का
पासपोर्ट साईज
का स्वहस्ताक्षरित
फोटो)2. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी में)

3. आवेदक के पिता/पति का नाम श्री

4. आवेदक की आयु वर्ष, लिंग वैवाहिक स्तर

5. पता
. फोन सं० (निवास) (कार्यालय)
. व मोबाईल सं०6. यदि आवेदक एक से अधिक व्यक्तियों की ओर से भाग ले रहा है तो आवेदक
सहित उनके नाम पतों का पूरा विवरण
.
.
.

7. व्यवसाय

8. यदि लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, व्यक्तिगत स्वामी, साझेदारी,
रजिस्टर्ड सोसायटी, रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी, पंजीकृत कंसोर्टियम
(Consortium) फर्म, ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें

(क) नाम

आवेदक के हस्ताक्षर।

पत्र व्यवहार का पता:—.....

फोन सं० (निवास) (कार्यालय) व मोबाईल सं०

स्थायी पता

फोन सं० (निवास) (कार्यालय) व मोबाईल सं०

(ख) पंजीकरण संख्या व वर्ष (जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है)

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है

(ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पता:— :-.....

फोन सं० (निवास) (कार्यालय) व मोबाईल सं०

(घ) प्रबन्धकारीणी सदस्यों के नाम व पते—

व्यवसाय :-

(कृपया प्रबन्धकारीणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. आवेदक का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम

10. यदि विवरण पुस्तिका प्राधिकरण के वेबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका के क्रय
मुल्य के सापेक्ष जमा धन का विवरण— बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे-आर्डर संख्या
दिनांक जमा धनराशि अंकन रुपये
जारीकर्ता बैंक का नाम

11. धरोहर धनराशि का विवरण— बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे-आर्डर संख्या.....
जमा धनराशि अंकन रुपये
जारीकर्ता बैंक का नाम.....

12. आवेदक द्वारा आवेदित भूखण्ड/भवन के लिये आरक्षित दर/कीमत के सापेक्ष दी
गयी दर/कीमत रुपये प्र०वर्ग मीटर/प्रति भवन (शब्दों में) . . .
..... रुपये प्र०वर्ग मीटर/प्रति भवन)

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम-शर्तों का निविदादाता ने अध्ययन कर
लिया गया है जो निविदादाता को मान्य है ।

आवेदन की तिथि.....

संलग्नक-3

संख्या

नीलामी तिथि- संलग्नक एक के अनुसार।

नीलामी प्रारम्भ होने का समय- अपरान्ह 2.30 बजे से।

स्थान- विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

नीलामी (बोली) पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

1. नीलामी (बोली) किस सम्पत्ति के लिये है:-

(अ) भवन/भूखण्ड/प्लैट्स सं० (ब) सैक्टर

(स) पॉकेट (द) क्षेत्रफल वर्ग मीटर

(य) योजना का नाम

(आवेदक का
पासपोर्ट साईज
का
स्वहस्ताक्षरित
फोटो)2. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी में)

3. आवेदक के पिता/पति का नाम श्री

4. आवेदक की आयु वर्ष, लिंग वैवाहिक स्तर

5. पता
.....
.....

फोन सं० (निवास) (कार्यालय) व मोबाईल सं०

6. यदि आवेदक एक से अधिक व्यक्तियों की ओर से भाग ले रहा है तो आवेदक
सहित उनके नाम पतों का पूरा विवरण
.....
.....

7. व्यवसाय

8. यदि लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, व्यक्तिगत स्वामी, साझेदारी,
रजिस्टर्ड सोसायटी, रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी, पंजीकृत कंसोर्टियम
(Consortium) फर्म, ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें

(क) नाम

पत्र व्यवहार का पता:-.....

फोन सं० (निवास) (कार्यालय) व मोबाईल सं०

आवेदक के हस्ताक्षर।

स्थायी पता

फोन सं० (निवास) (कार्यालय) व मोबाईल सं०

(ख) पंजीकरण संख्या व वर्ष (जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है)

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है

(ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पता :-.....

फोन सं० (निवास) (कार्यालय) व मोबाईल सं०

(घ) प्रबन्धकारीणी सदस्यों के नाम व पते—

व्यवसाय :-

(कृपया प्रबन्धकारीणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. यदि विवरण पुस्तिका प्राधिकरण के वेबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका के क्रय मूल्य के सापेक्ष जमा धन का विवरण— बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक्स/पे—आर्डर संख्या दिनांक जमा धनराशि अंकन रुपये जारीकर्ता बैंक का नाम

10. धरोहर धनराशि का विवरण— बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक्स/पे—आर्डर सं०..... जमा धनराशि अंकन रुपये जारीकर्ता बैंक का नाम.....

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम—शर्तों का बोलीदाता ने अध्ययन कर लिया गया है, जो बोलीदाता को मान्य है।

आवेदन की तिथि